"न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केंप भोपाल"

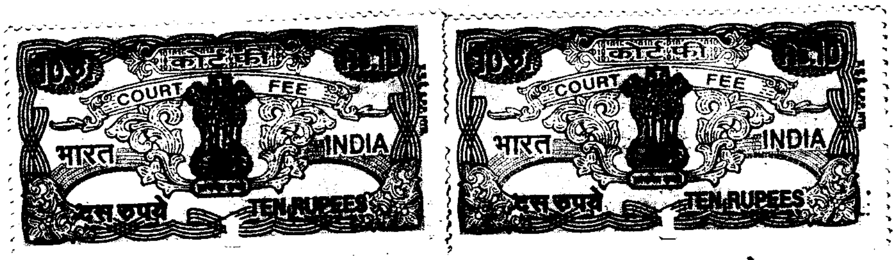

आवेदक—...हरगोविंद, हीरालाल,द्वारकाप्रसाद,चन्द्रशेखर
पुत्र गण स्व.वीरेन्द्र साहू सभी निवासी ग्राम—
मढावन तहसील बाबई जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

बनाम

अनावेदक.. 1 .भैयालाल आ.स्व.गुरूदयाल साहू निवासी मढावन,
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
2. सीताराम आ.स्व.बाबूलाल साहू निवासी मढावन,
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
3. राधेश्याम आ.स्व.परसराम साहू, निवासी मढावन,
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

रा.प्र.निगरानी क्र......................./16 संस्थित दिनांक—29.11.2016
ग्राम मढावन,आरी,मजोजलपुर तह. बाबई जि.होशंगाबाद.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता.

आवेदक द्वारा पुनरीक्षण याचिका माननीय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के रा.प्र.क्र. 40 अपील वर्ष 2015—16 भैयालाल बनाम हरगोविंद हीरालाल, द्वारकाप्रसाद,चन्द्रशेखर,सीताराम, राधेश्याम सभी निवासी मढावन तहसील बाबई जिलाहोशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 14.10. 2016 से परिवेदित एवं क्षुब्द होकर आदेश की वैध्दता एवं नियमितता के परीक्षण हेतु निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत कर न्यायहित में न्याय कि याचना करता है :—

—2—निरन्तर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4022—पीबीआर/16 जिला **होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1—3—2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—10—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उनके समक्ष प्रथम अपील 3 ग्रामों की संशोधन पंजीयों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में बिना अनावेदक क्रमांक 1 को सुनवाई का अवसर दिये अपील प्रारंभिक स्तर पर निरस्त की जाना उचित नहीं है, आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	